कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, (आत्मा),पूर्णियाँ

विकास भवन,समाहरणालय,पूर्णियाँ
पत्रांक /आत्मा

प्रेषक,

परियोजना निदेशक
आत्मा पूर्णियाँ ।

सेवा में,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी (कसबा, जलालगढ़, के0नगर, डगरूआ,श्रीनगर एवं बी0कोठी)
अध्यक्ष, कृषक सूचना सलाहकार केन्द्र,
(कसबा, जलालगढ़, के0नगर, डगरूआ,श्रीनगर एवं बी0कोठी)

दिनांक............ नवम्बर 2014

विषय— कृषि के संबंद्ध क्षेत्रों में प्रत्यक्षण आयोजन हेतु क्रियान्यनवन अनुदेश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आत्मा के अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत चयनित गाँवों में समूह बनाकर प्रत्यक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना है । **"प्रत्यक्षण का उद्देश्य आलू के फसलों में समेकित पोषक तत्व एवं कीट व्याधि प्रबंधन"** को प्रोत्साहित करना है । प्रखंडवार चयनित गाँवों में लक्षित संख्या के अनुरूप समूह गठन कर उसका निबंधन आत्मा कार्यालय से एक सप्ताह के अंदर करना अनिवार्य है । निबंधित समूहों के अनुरूप के सदस्य ही चयनित कृषक होंगें । अतः यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि समूह के सदस्य के रूप में अत्यंत जागरूक , क्रियाशील एवं सक्षम कृषक हो ।समूहों के सदस्यों को प्रत्यक्षण हेतु पूर्व से चिन्हित एवं अनुमोदित उपादान प्रखंड में निर्धारित तिथि में शिविर में उपस्थित विक्रेताओं से अपने पसंद के अनुरूप नगद क्रय करने होगें एवं क्रय किए गए उपादानों का अभिश्रव प्राप्त कर उन्हें उसी दिन एकाउन्ट पेयी चेक अथवा समूह के खाते या समूह के सदस्यों के नीजी खाते में RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाना है । इस कार्य में आप चिन्हित गाँवों के कृषक सन्वयक एवं सलाहकार को निर्देशित कर अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेंगे । प्रखंडवार चिन्हित गाँवों , लक्ष्य , समूह एवं उपादान का विस्तृत विवरणी अलग से संलग्न किया जा रहा है । साथ ही निम्न बातों पर ध्यान देना सुनिश्चित करें ।

1. उपस्थित विक्रेताओं के द्वारा शिविर मे लगाये गए उपादानों का भंडार सत्यापन अवश्य करेंगे ।
2. उपस्थित विक्रेताओं के द्वारा वैधानिक अनुज्ञप्ति , टिन संख्या, निर्माता को भी उत्पाद कर प्राधिकार पत्र एव निदेशक कृषि, बिहार, पटना से बिक्री अनुमति का सत्यापन अवश्य करें ।
3. प्रत्येक विक्रेताओं
4. से बिक्री किये जानेवाले उपादानों का 01–01 नमूना संग्रह कर आवश्यक रखे ताकि उसे
5. विक्रेताओं द्वारा आत्मा के वेबसाइट पर पूर्व से प्रदत्त एवं जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षा में आयोजित बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत मूल्य से अधिक का अभिश्रव नहीं हो । प्रत्येक प्रदत्त दवा, उर्वरक में अंकित बैच का , अभिश्रव पर अवश्य हों ।

अनुलग्नक :– 1. समूहों की उपलब्ध सूची / कृषको की सूची (अनुमोदित)
2 विक्रेताओं द्वारा प्रदत्त मूल्य सूची एवं सत्यापित प्रतिवेतदन की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

परियोजना निदेशक
आत्मा, पूर्णियाँ ।

ज्ञापांक.......334 दिनांक 15/11/14

प्रतिलिपि– जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष आत्मा पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव सह राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/11/14

परियोजना निदेशक
आत्मा, पूर्णियाँ ।

Letter 14